रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122025-268253
CG-DL-E-05122025-268253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947
No. 798]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 884(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सूचना आयोग: [रजिस्ट्रार] भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग में रजिस्ट्रार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सूचना आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रजिस्ट्रार.	1(2025) * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 (123100- 215900 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता .	लागू नहीं होता .

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

			अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था, न्यायालयअथवा न्यायाधिकरण के अधिकारी: (क) (i)जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो, (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्: - (i) अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विधि स्नातक (ii) वांछनीय: विधिक अथवा न्यायिक कार्य में दो वर्षों का अनुभव टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 4/17/2022-आईआर-I]

एस.डी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISRTY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2025

G.S.R. 884(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and in supersession of the Central Information Commission: [Registrar] Recruitment Rules,a 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Registrar in the Central Information Commission, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Information Commission (Registrar) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** — The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay- matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Registrar.	1(2025) * *Subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level-(13) in the pay matrix. (Rs.123100- 215900).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation. (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions, court or Tribunal: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Essential: Bachelor degree in Law from a recognised university or institute. (ii) Desirable:	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			Experience of two years in legal or judicial work. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. 4/17/2022-IR-I]

S.D. SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.05 16:41:18 +05'30'